रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 904] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2017/कार्तिक 12, 1939
No. 904] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2017/KARTIKA 12, 1939

India Code

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1366(अ) – पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में, अनुसूची III में, भाग I में,—

(क) अनुच्छेद IV में, "पासपोर्ट" से संबंधित परिच्छेद (क) में, उप-परिच्छेद (1) में, "निवास प्रमाण" (निम्नलिखित में से कोई एक संलग्न करें) से संबंधित मद (अ) में, शब्दों "अवयस्कों के मामले में अभिभावक के पासपोर्ट की प्रति" के लिए शब्द "अवयस्कों के मामले में अभिभावक के पासपोर्ट की प्रति, केंद्र/राज्य सरकार के संपदा कार्यालय/सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सरकारी आवास का आवंटन पत्र, सरकारी कर्मचारियों (सेवारत/सेवा-निवृत्त) के सेवा अभिलेख/पुस्तिका का विधिवत प्रमाणित/सत्यापित उद्धरण अथवा सेवारत सरकारी कर्मचारियों के संबंध में नियोजक द्वारा जारी बोनाफ़ाईड प्रमाण पत्र, भारतीय डाक, डाक विभाग द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र", प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची V में, "दस्तावेजों की समग्र सूची" से संबंधित तालिका 3 में दस्तावेज संख्या 1 और इससे संबंधित प्रविष्टियों में वर्तमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ सन्निविष्ट की जाएंगी, अर्थात:—

दस्तावेज संख्या	दस्तावेजों की सूची
1	वर्तमान पते का प्रमाण: पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक संलग्न करें।
"ङ	केंद्र/राज्य सरकार के संपदा कार्यालय/सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सरकारी आवास का आवंटन पत्र।
च	सरकारी कर्मचारियों (सेवारत/सेवा-निवृत्त) के सेवा अभिलेख/पुस्तिका का विधिवत प्रमाणित/सत्यापित उद्धरण या सेवारत सरकारी कर्मचारियों के संबंध में नियोजक द्वारा जारी बोनाफ़ाईड प्रमाण पत्र
छ	भारतीय डाक, डाक विभाग द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र (नि.प्र.)"

[फा. सं. VI/401/1/31/2015]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी: पासपोर्ट नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ), के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1215(अ), दिनांक 03 अक्तूबर, 2017 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2017

G.S.R. 1366(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, in Part I,—

(a) in section IV, in paragraph (A) relating to "Passports", in sub-paragraph (1), in item (a) relating to "Proof of address (attach one of the following)'', for the words "parent's passport copy in case of minors", the words "parent's passport copy in case of minors, allotment letter of the Government accommodation issued by the Estate Office/Public Works Department of the Central/State Government in respect of their employees, duly certified/attested extract of the service record/book of the Government employees (serving/retired) or the bonafide certificate issued by the employer in respect of serving Government employees, Proof of Address issued by the India Post, Department of Posts" shall be substituted;

(b) in Schedule V, in Table 3 relating to "Overall List of Documents", under Document No.1 and the entries relating thereto, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:–

Document No.	List of Documents
1	Proof of Present Address: For proof of Address attach one of the following documents.
"e.	Allotment letter of the Government accommodation issued by the Estate Office/Public Works Department of the Central/State Government in respect of their employees.

f.	duly certified/attested extract of the service record/book of the Government employees (serving/retired) or the bonafide certificate issued by the employer in respect of servings Government employees
g.	Proof of Address (POA) issued by the India Post, Department of Posts".

[F. No. VI/401/1/31/2015]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note : The Passports Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* Notification Number G.S.R. 691 (E), dated 11th December, 1980 and last amended *vide* Notification Number G.S.R. 1215(E), dated 03/10/2017.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.11.03 22:54:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.